समाहरणालय,मधेपुरा
(जिला राजस्व शाखा)
—: आदेश :—

पूर्व वर्षो की भांति इस वर्ष भी विभागीय निदेशानुसार मधेपुरा जिलान्तर्गत पड़ने वाले वैसे अप्रैल श्रेणी एवं अक्टूबर श्रेणी के सभी सैरातों, जिनका सुरक्षित जमा राशि—2,00,000.00 (दो लाख) रू0 से 5,00,000.00 (पाँच लाख) रू0 के बीच निर्धारित थी एवं जिनकी बन्दोवस्ती की शक्ति राजस्व विभागीय संकल्प सं0—153(9)/रा0 दिनांक—15.02.2018 के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी में निहित थी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक—9/सै0—1—पंचायती राज—14—2019—557—(9)/रा0 दिनांक—21.06.2019 से निर्गत संकल्प के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन अन्तर जिला एवं अंतर्राज्यीय सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) को छोड़कर शेष अन्य सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) को पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद द्वारा दिये गये स्वीकृति के आलोक में मधेपुरा जिलान्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्राधीन सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) का प्रबंधन, नियंत्रण एवं अनुरक्षण का दायित्व ग्राम पंचायत को 50000.00 (पचास हजार) रूपये तक, पंचायत समिति को 100000.00 (एक लाख) रूपये तक एवं जिला परिषद को 500000.00 (पाँच लाख) रूपये तक सुरक्षित जमा राशि की बन्दोवस्ती वाले सैरातों को हस्तांतरित किये जाने हेतु विभागीय निदेश प्राप्त हैं जिसके परिपेक्ष्य में मधेपुरा जिलान्तर्गत 500000.00 (पाँच लाख) रूपये तक सुरक्षित जमा राशि की बन्दोवस्ती वाले सैरातों को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक—334—2/रा0 मधेपुरा, दिनांक—12.03.2020 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा चुका है। शेष बचे 500000.00 (पाँच लाख) रूपये से उपर सुरक्षित जमा राशि वाले (फेरी एवं घाट सहित) सैरात जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन है का प्रबंधन, नियंत्रण एवं अनुरक्षण का दायित्व राजस्व विभाग के अंतर्गत ही पूर्ववत रखा गया है को वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए बन्दोवस्ती किया जाने हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को इस निदेश के साथ प्राधिकृत किया जाता हैं कि वे बन्दोवस्ती उपरांत अद्योहस्ताक्षरी से उनका अनुमोदन 31 मार्च 2021 से पूर्व प्राप्त कर लेंगे।

1. इसके अलावा 5,00,000.00 (पाँच लाख) रू0 से उपर सभी सैरात जिनकी बन्दोवस्ती की शक्ति उक्त संकल्प के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त महोदय, एवं सरकार में निहित है, एवं जिसका सुरक्षित जमा निर्धारित हो चुका है को स—समय नियमानुसार बन्दोवस्ती करना सुनिश्चित करते हुए बन्दोवस्ती उपरांत अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि स—समय बन्दोवस्ती अभिलेख पर अंतिम स्वीकृति हेतु प्रमंडलीय आयुक्त महोदय, सहरसा को भेजा जा सके।
2. किसी भी परिस्थिति में सैरातों की विभागीय वसूली नहीं होगी, इसलिए संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, अपने स्तर से व्यापक प्रचार—प्रसार कर हर हाल में 31 मार्च 2021 तक सैरातों की बन्दोवस्ती करना सुनिश्चित करेंगे।
3. बन्दोवस्ती के पश्चात बन्दोवस्ती संबंधी अभिलेख का Shadow Record संबंधित अंचल अधिकारी, को उपलब्ध करा देंगे। बन्दोवस्ती से प्राप्त राशि की नाजीर रसीद, संबंधित अंचल के नाजीर निर्गत करेंगे, तथा राशि संबंधित अंचल अधिकारी, द्वारा सरकारी खजाने में स—समय जमा करायेंगें, ताकि रिटर्न—I बनाने में कठिनाई नहीं हो।
4. संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, को यह भी निदेश दिया जाता है कि जिस सैरातों का वित्तीय वर्ष 2020—21, 2021—22 एवं 2022—23 के लिए बन्दोवस्ती हेतु सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण जिला सुरक्षित जमा निर्धारण समिति अथवा प्रमंडल स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाना है, वैसे सैरातो से संबंधित अभिलेख अंचलों से प्राप्त कर शीघ्रताशीघ्र जिला राजस्व शाखा, मधेपुरा को अनुशंसा सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर समय सीमा के अन्दर आपसे संबंधित सैरात अभिलेख प्राप्त नहीं होता है तो बन्दोवस्ती की प्रक्रिया में पडने वाले प्रतिकुल प्रभाव की सारी जवाबदेही आपकी होगी।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/—

समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 349-2 / रा0 मधेपुरा, दिनांक 22 / 02 / 2021

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशानार्थ प्रेषित।

ह0/- 22.2.21

समाहर्त्ता,

मधेपुरा।